रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

Emergency

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] नई दिल्ली, शनिवार, जून 2, 2007/ज्येष्ठ 12, 1929
No. 119] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 2, 2007/JYAISTHA 12, 1929

भारतीय उपचर्या परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2007

फा. सं. 11-1/2007-भा.उ.प.—भारतीय नर्सिंग परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का 48वां) के खण्ड 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाती है :—

1. लघु शीर्ष तथा प्रवर्तन.—इन विनियमों को पाठयक्रम और विनियम आपातकालीन और आपदा परिचर्या में पोस्ट बेसिक डिपलोमा, 2005 कहा जाएगा ।

2. ये विनियम सत्र 2007-08 से प्रभावी होंगे ।

आपातकालीन और आपदा परिचर्या में डिप्लोमा शुरू करने के लिए मार्गनिर्देश

यह कार्यक्रम निम्न संस्थानों में शुरू किया जा सकता है:

(ए) ऐसे सरकारी (राज्य/केन्द्र/स्वायत्त) परिचर्या शिक्षण संस्थान जो परिचर्या में डिप्लोमा अथवा डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं और जिनके मूल/संबंधनप्राप्त सरकारी अस्पताल में 'आपातकालीन तथा आपदा परिचर्या' अनुभव के लिए सुविधाएं हैं।

अथवा

(बी) ऐसे अन्य गैर-सरकारी परिचर्या शिक्षण संस्थान जो परिचर्या में डिप्लोमा अथवा डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं तथा जिनके मूल अस्पतालों में 'आपातकालीन तथा आपदा परिचर्या' अनुभव के सुविधाएं हैं।

अथवा

(सी) ऐसा अस्पताल जिसमें प्रतिघात तथा गैर–प्रतिघात मामलों के लिए विशिष्ट आपातिक सेवाएं सुलभ हैं।

मान्यता प्रदान किए जाने की क्रियाविधि

1. आपातकालीन तथा आपदा परिचर्या में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा शुरू करने के इच्छुक किसी भी संस्थान को राज्य सरकार से अनापत्ति/अनिवार्यता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा। जिन संस्थानों को परिचर्या में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम चलाने के लिए आईएनसी द्वारा पहले ही मान्यता प्रदान की जा चुकी है उन्हें अनापत्ति/अनिवार्यता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की जरूरत नहीं है।

2. परिचर्या कार्यक्रम (स्कूल/कालेज) शुरू करने के लिए संस्थान से प्रस्ताव प्राप्त होने पर आईएनसी भौतिक आधारिक सुविधाओं, नैदानिक सुविधाओं तथा शिक्षण संकाय को लेकर उपयुक्तता का आकलन करने के लिए निरीक्षण करेगी जिससे कि कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी जा सके।

3. परिचर्या कार्यक्रम चलाने के लिए भारतीय उपचर्या परिषद की अनुमति मिलने के बाद संस्थान राज्य उपचर्या परिषद तथा परीक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

4. संस्थान केवल राज्य उपचर्या परिषद तथा परीक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही छात्रों का दाखिला करेगा।

5. भारतीय उपचर्या परिषद कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति को जारी रखने के लिए लागतार दो वर्षों तक निरीक्षण करेगी।

स्टाफ व्यवस्था

1. 1:5 के अनुपात में पूर्णकालिक शिक्षण संकाय शिक्षण

   संकाय की न्यूनतम संख्या 2 (दो) होनी चाहिए।

   अर्हता: 1. चिकित्सीय–शल्यक्रिया विशेषज्ञता सहित एम.एससी. नर्सिंग।

   2. आपातकालीन तथा आपदा परिचर्या में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा।

   अनुभव: कम से कम 3 वर्ष

2. अतिथि संकाय – संबंधित विशेषज्ञताओं में बहुविषयक्षेत्रीय

बजट

स्टाफ वेतन, अंशकालिक अध्यापकों के लिए मानदेय, लिपिकीय सहायता, संस्थान के समग्र बजट में कार्यक्रम के लिए पुस्तकालय तथा आपातिक व्यय के वास्ते बजटीय प्रावधान होना चाहिए।

भौतिक सुविधाएं

1. *क्लासरूम* – 1

2. *परिचर्या प्रयोगशाला* – 1

3. *पुस्तकालय* – आपातकालीन तथा आपदा प्रबंध में नवीन परिचर्या पाठ्यपुस्तकों तथा पत्रिकाओं से सुसज्जित चिकित्सीय/अस्पताल पुस्तकालय का प्रयोग करने की अनुमति।

4. *शिक्षण सहायक सामग्री* – निम्न के प्रयोग के लिए सुविधाएं

   - ओवरहेड प्रोजेक्टर

- स्लाइड प्रोजेक्टर
- वीडियो सर्वेक्षण
- एलसीडी प्रोजेक्टर
- इन्टरनेट सुविधा
- कंप्यूटर, डीवीडी प्लेयर, टीवी तथा वीसीआर
- सीडी, डीवीडी, वीडियो कैसेट
- कौशल निदर्शन के लिए उपकरण

5. *कार्यालय सुविधाएं:*

- टाइपिस्ट, चपरासी, सफाई कर्मचारी की सेवाएं
- कार्यालय, उपकरण, आपूर्ति आदि के लिए सुविधाएं जैसेकि
  - लेखन सामग्री
  - प्रिंटर सहित कंप्यूटर
  - जीरौक्स मशीन/रिसोग्राफ
  - टेलीफोन

नैदानिक सुविधाएं

न्यूनतम शय्या संख्या

- 250–500 शय्याएं और आईसीयू सुविधा
- आपातिक शय्याएं : 10

पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक छात्र को:

1. एक पंजीकृत नर्स (आरएन तथा आरएम) अथवा समतुल्य होना चाहिए।
2. उसके पास एक स्टाफ नर्स के रूप में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
3. दूसरे देशों की नर्सों को दाखिले से पहले आईएनसी से समतुल्यता का प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।
4. शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए।
5. सीटों की संख्या–
   - 250–500 शय्याओं वाले अस्पताल में सीटों की संख्या = 5–10
   - 500 से अधिक शय्याओं वाले अस्पताल में सीटों की संख्या = 10–20

पाठ्यक्रम का विन्यास

I. अवधिः पाठ्यक्रम की अवधि एक शैक्षणिक वर्ष है।

II. पाठ्यक्रम का विभाजनः

1. शिक्षणः सिद्धांत और नैदानिक अभ्यास	42 सप्ताह
2. संस्थानबद्ध प्रशिक्षण	4 सप्ताह
3. परीक्षा (तैयारी सहित)	2 सप्ताह
4. छुट्टियां	2 सप्ताह
5. सार्वजनिक अवकाश	2 सप्ताह
	52 सप्ताह

III. पाठ्यक्रम के उद्देश्य

सामान्य उद्देश्य

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्र आपातकालीन और आपदा परिचर्या के दर्शन, सिद्धांतों, विधियों और मुद्दों, प्रबंधन, शिक्षा तथा अनुसंधान की एक समझ विकसित करने की स्थिति में हो सकेंगे। इसके अलावा यह पाठ्यक्रम उन्हें सक्षम आपातकालीन और आपदा परिचर्या देखभाल प्रदान करने के लिए कौशल और अभिवृत्ति विकसित करने योग्य बना देगा।

विशिष्ट उद्देश्य

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्र निम्न बातों में सक्षम हो सकेगा

1. आपातकालीन और आपदा परिचर्या की अवधारणाएं और सिद्धांत समझाना।
2. स्थितियों के ऐसे शारीरिक, विकृतिजन्य तथा मनोसामाजिक पक्षों का वर्णन करना जिनके कारण आपातकालीन देखभाल जरूरी हो गई है।
3. विभिन्न प्रकार की आपदाओं और उनके प्रभावों का वर्णन करना।
4. उन्नत हृद जीवन सहायता कौषल निष्पादित करना।
5. बड़ी संख्या में रोगियों का उपचार करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए घावों और रोगों की गंभीरता का आकलन तथा एम्बुलेंस सेवा सहित आपातिक यूनिटों के गठन की योजना तैयार करना।
6. आपातकालीन देखभाल प्राप्त कर रहे रोगियों की देखभाल में परिचर्या प्रक्रिया का प्रयोग करना।
7. आपदा प्रबंध में परिचर्या कौशलों का आयोजन और निदर्शन।
8. आपातकाल तथा आपदा परिचर्या में अनुसंधान आयोजित करना।
9. नर्सों तथा संबद्ध स्वास्थ्य कार्मिकों को शिक्षित करना।

IV. पाठ्यक्रम

	सिद्धांत	व्यवहार
1. नैदानिक परिचर्या–I (आधारिक पाठ्यक्रम सहित)	155 घंटे	एकीकृत नैदानिक अभ्यास
2. नैदानिक परिचर्या–II	155 घंटे	
3. पर्यवेक्षण और प्रबंध, नैदानिक शिक्षण, प्रारंभिक अनुसंधान और सांख्यिकी		
(i) पर्यवेक्षण तथा प्रबंध	30 घंटे	
(ii) नैदानिक शिक्षण	30 घंटे	1280 घंटे
(iii) प्रारंभिक अनुसंधान और सांख्यिकी	30 घंटे	
4. संस्थानबद्ध प्रशिक्षण		160 घंटे
योग	**400 घंटे**	**1440 घंटे**

- सिद्धांत और व्यवहार के बीच घंटों का विभाजन

  42 सप्ताह X 40 घंटे / सप्ताह
  = 1680 घंटे

- ब्लाक कक्षाएं

  4 सप्ताह X 40 घंटे / सप्ताह
  = 160 घंटे

- एकीकृत सिद्धांत और नैदानिक अभ्यास

  38 सप्ताह X 40 घंटे / सप्ताह
  = 1520 घंटे

  – (सिद्धांत 400 घंटे)* सिद्धांत 6 घंटे / सप्ताह

  38 सप्ताह X 6 घंटे / सप्ताह
  = 240 घंटे

  – नैदानिक अनुभव 34 घंटे / सप्ताह

  38 सप्ताह X 34 घंटे / सप्ताह
  = 1292 घंटे

- संस्थानबद्ध प्रशिक्षण 4 सप्ताह X 40 घंटे = 160 घंटे

V. नैदानिक अनुभव

ऐसे क्षेत्र जिनमें नैदानिक अनुभव अपेक्षित है

आपातिक सेवाएं 38 सप्ताह

(चिकित्सीय, शल्यक्रियात्मक, बालचिकित्सासविज्ञान, प्रसूति विज्ञान तथा स्त्रीरोग विज्ञान, प्रतिघात, विकलांग विज्ञान, तंत्रिका तथा मनोरोग, बर्न्स, सभी आईसीयू*, सभी पारियां)

* दो सप्ताह सायंकालीन तथा दो सप्ताह रात्रि पारी

VI. परीक्षा योजना

	आंतरिक मूल्यांकन अंक	बाह्य मूल्यांकन	कुल अंक	अवधि (घंटों में)
ए. सिद्धांत				
प्रश्न–पत्र I - नैदानिक परिचर्या I	50	150	200	3
प्रश्न–पत्र II - नैदानिक परिचर्या II	50	150	200	3
प्रश्न–पत्र III – पर्यवेक्षण और प्रबंध, नैदानिक शिक्षण, प्रारंभिक अनुसंधान और सांख्यिकी	50	150	200	3
बी. व्यावहारिक				
नैदानिक परिचर्या (शिक्षण और पर्यवेक्षण को एकीकृत किया जाए)	100	100	200	
सकल योग	**250**	**550**	**800**	

सी. परीक्षा में बैठने के लिए शर्तें

छात्र:

1. वर्ष के दौरान प्रत्येक विषय में सैद्धान्तिक शिक्षण में कम से कम 75% हाजिर रहा हो।
2. उसने कम से कम 75% नैदानिक व्यावहारिक घंटे कार्य किया हो। तथापि प्रमाण–पत्र दिए जाने से पहले छात्रों को घंटों और क्रियाकलापों के अर्थों में एकीकृत व्यावहारिक अनुभव तथा संस्थानबद्ध प्रशिक्षण में 100% हाजिरी पूरी करनी चाहिए।

VII. परीक्षा

परीक्षा, भारतीय उपचर्या परिषद द्वारा मान्यताप्रदत्त राज्य उपचर्या पंजीकरण परिषद/राज्य उपचर्या परीक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी।

VIII. सफलता का मानक

1. उत्तीर्ण होने के लिए छात्र को सिद्धांत, व्यावहारिक तथा प्रश्न–पत्रों में आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य परीक्षा में से प्रत्येक में अलग–अलग कम से कम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए।
2. (क) 60% से कम द्वितीय श्रेणी है,
   (ख) 60% तथा उससे अधिक किन्तु 75% से कम प्रथम श्रेणी है,
   (ग) 75% तथा उससे उच्चतर उत्कृष्टता है।
3. उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को अधिक से अधिक तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे।

IX. प्रमाणन

ए. शीर्षक–आपातकालीन तथा आपदा परिचर्या में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा।

बी. निर्धारित अध्ययन कार्यक्रम की सफल पूर्ति के बाद एक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा जिसमें यह कहा जाएगा कि

(i) अभ्यर्थी ने आपातकालीन तथा आपदा परिचर्या में निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है।

(ii) छात्र ने निर्धारित नैदानिक अनुभव प्राप्त कर लिया है।

(iii) छात्र ने निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

नैदानिक परिचर्या I
(आधारिक पाठ्यक्रमों सहित)

विवरण:

यह पाठ्यक्रम संबंधित जीववैज्ञानिक और व्यवहारपरक विज्ञानों तथा चिकित्सीय और शल्यक्रियात्मक आपातिक स्थितियों सहित आपातकालीन परिचर्या के सिद्धांतों की समझ विकसित करने के लिए तैयार किया गया है।

उद्देश्य:

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्र निम्न बातों में समर्थ हो जाना चाहिए:

1. आपातकालीन परिचर्या में यथाप्रयुक्त व्यवहारपरक तथा जीववैज्ञानिक विज्ञानों के सिद्धांतों का वर्णन करना।
2. आपातकालीन परिचर्या की अवधारणाओं और सिद्धांतों का वर्णन करना।
3. उन्नत हृदजीवन सहायता निष्पादित करना।
4. बड़ी संख्या में रोगियों का उपचार करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए घावों और रोगों की गंभीरता का आकलन तथा नर्स की भूमिका का वर्णन करना।
5. चिकित्सीय तथा शल्यक्रियात्मक आपातिक स्थितियों से संबंधित परिचर्या प्रक्रिया का वर्णन करना।

सिद्धांत = 155 घंटे

विषय	घंटे	अंतर्वस्तु
यूनिट I	10	**मनोविज्ञान** □ समीक्षा • वैयक्तिक भिन्नताएं • अधिगम, प्रेरण, ध्यान और बोध • संवेग • मानव व्यवहार और आपातकाल तथा आपदा में जरूरतें • दबाव तथा आपातिक स्थितियों का मुकाबला करना • नेतृत्व • संचार तथा आईपीआर • अभिवृत्तियों तथा देखभाल को मानवीय बनाना।
यूनिट II	10	**समाजविज्ञान** □ समीक्षा • सामाजिक गठन और सामुदायिक संसाधन • समुदाय में नेतृत्व की भूमिकाएं

		• समाज में स्वास्थ्य–रुग्णता सातत्य • आपातकाल और आपदा का व्यक्ति, परिवार, समुदाय तथा समाज पर प्रभाव • आपातकाल और आपदा में व्यक्ति, परिवार, समुदाय और समाज की भूमिका
यूनिट III	10	**सूक्ष्मजीवविज्ञान** □ समीक्षा • प्रतिरक्षण • संक्रमण • सामान्य संचारी रोगों का जानपदिकरोगविज्ञान • अपूति, निर्जीवाणूकरण और विसंक्रमण के सिद्धांत • सूक्ष्मजीवविज्ञान में नैदानिक परीक्षण तथा संबद्ध नर्स की जिम्मेदारी • मानक सुरक्षोपाय तथा जैवचिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध
यूनिट IV	20	**अनुप्रयुक्त शरीररचनाविज्ञान और शरीरक्रियाविज्ञान** □ समीक्षा • तंत्रिकावैज्ञानिक तंत्र • श्वसन तंत्र • हृदवाहिका तंत्र • जठर–आंत्र तंत्र • अंतःस्रावी तंत्र • पेशी–कंकाल तंत्र • जनन मूत्र तंत्र • प्रजनन तंत्र • संवेदी अंग
यूनिट V	10	**फार्माकालोजी** □ समीक्षा • फार्माकोकिनेटिक्स • संवेदनाहारी पदार्थ • वेदनाहारी / शोथरोधी कारक • प्रतिजैविकी, पूतिरोधी एजेंट • औषधि प्रतिक्रिया तथा विषालुता • आपातकाल में प्रयुक्त औषधियां • दवा देने के सिद्धांत, नर्सों की भूमिका और दवाओं की देखभाल

यूनिट VI	10	❑ परिचय ❑ आपातकालीन तथा आपदा परिचर्या की परिभाषा, अवधारणाएं और सिद्धांत ❑ संसाधनों की व्यवस्था करना (मनुष्य, सामग्री और सुविधाएं)—एम्बुलेंस, स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण ❑ परिचर्या की प्रक्रिया ❑ आपातकालीन देखभाल यूनिट
यूनिट VII	5	❑ आपातकालीन देखभाल की अवधारणाएं • परिचय • ट्राएज (बड़ी संख्या में रोगियों का उपचार करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए घावों और रोगों की गंभीरता का आकलन) • ट्राएज (बड़ी संख्या में रोगियों का उपचार करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए घावों और रोगों की गंभीरता के आलकन) की अवधारणाएं • ट्राएज नर्स की भूमिका • ट्राएज कौशल
यूनिट VIII	25	❑ बुनियादी जीवन सहायता (बीसीएलएस) ❑ उन्नत हृद जीवन सहायता (एसीएलएस) ❑ फाइब्रिलहरण, मानीटरन, ओ$_2$ चिकित्सा अंतःश्वासनली नलिका—प्रवेशन, वेंटीलेटरों पर रोगी देखभाल, पेसमेकर तथा श्वासप्रणाल छिद्रीकरण ❑ द्रव तथा इलेक्ट्रोलाइट और अम्लाधार संतुलन ❑ वेदनाः आकलन और प्रबंधन ❑ शरीर के तापमान का विनियमन ❑ बेहोशी ❑ मृत्यु और मरणासन्न अवस्था
यूनिट IX	10	❑ संचार कौशल और आईपीआर ❑ मार्गदर्शन और परामर्श
यूनिट X	35	❑ चिकित्सीय आपातिक स्थितियां • निम्न स्थितियों सहित रोगियों की देखभाल के संबंध में – द्रव, इलेक्ट्रोलाइट तथा अम्लाधार असंतुलन – अंतःस्रावी आपातिक स्थितियां – श्वसन आपातिक स्थितियां – हृद—वाहिका आपातिक स्थितियां – विषाक्तीकरण, (दांत से) काटना, डंक मारना – तापविनियामक आपातिक स्थितियां – तंत्रिका—वैज्ञानिक आपातिक स्थितियां – जठर—आंत्र आपातिक स्थितियां – जनन—मूत्र आपातिक स्थितियां – आघात और रक्तस्राव – पानी में डूब जाना – खाद्य विषाक्तीकरण

यूनिट XI	10	❑ शल्यक्रियात्मक आपातिक स्थितियां • जठर–आंत्र आपातिक स्थितियां – वेधन – आंत्र अवरोधन – पर्युदर्याशोथ/अपेन्डिसाइटिस, विदारित उदर तथा तीव्र उदर

नैदानिक परिचर्या II

विवरण:

यह पाठ्यक्रम गंभीर अभिघात, मातृ और बाल स्वास्थ्य तथा अन्य आपातिक स्थितियों और आपदा के दौरान परिचर्या प्रबंध के सिद्धांतों की समझ विकसित करने के लिए तैयार किया गया है।

उद्देश्य:

पाठ्यक्रम की समाप्ति के समय छात्र निम्न बातों में सक्षम होगा:

1. अभिघात देखभाल की अवधारणाओं का वर्णन करना।
2. गंभीर अभिघात का शीघ्र प्रबंध करना।
3. विभिन्न शारीरिक तंत्रों की चोटों का वर्णन करना।
4. प्रसूति–वैज्ञानिक, स्त्रीरोग वैज्ञानिक तथा बालरोग चिकित्सा आपातिक स्थितियों से संबंधित परिचर्या प्रक्रिया का वर्णन करना।
5. व्यवहारपरक आपातिक स्थितियों से संबंधित परिचर्या प्रक्रिया का वर्णन करना।
6. विशाल आपदा–पीड़ित व्यक्तियों के प्रबंध का वर्णन करना।

कुल घंटे: 155

विषय	घंटे	अंतर्वस्तु
यूनिट I	60	❑ अभिघात का शीघ्र प्रबंध • अभिघात देखभाल, क्षति की जैव–यांत्रिकी, अभिघात निवारण, सड़क सुरक्षा • अभिघात का प्रारंभिक आकलन और शीघ्र प्रबंध • निम्न का प्रबंध – सड़क यातायात दुर्घटनाएं – अभिघातज सदमा – वेदना – कपाल आनन क्षतियां – पेशी कंकाल क्षतियां तथा रीढ़ की क्षतियां – हृद वक्ष क्षतियां – उदरीय क्षतियां – गर्भावस्था के दौरान क्षतियां – बर्न्स – बालरोग अभिघात

		• नर्स की भूमिका • अभिघातोत्तर पुनर्वास
यूनिट II	15	❑ प्रसूति–वैज्ञानिक तथा स्त्रीरोग वैज्ञानिक आपातिक स्थितियां • प्रसूति–वैज्ञानिक आपातिक स्थितियां – पहली तिमाही की आपातिक स्थितियां : अस्थानिक गर्भ, गर्भपात – प्रसव–पूर्व आपातिक स्थितियां : भ्रंश रज्जु, प्रसव–पूर्व रक्तस्राव, सम्मुखी अपरा, पूर्व–गर्भाक्षेपक तथा गर्भाक्षेपक, विदारित गर्भाशय – प्रसवोत्तर आपातिक स्थितियां : प्रसवोत्तर रक्तस्राव – प्रसूति–वैज्ञानिक आघात • स्त्रीरोग वैज्ञानिक आपातिक स्थितियां • डिम्ब ग्रंथि पुटी/फोड़ा • श्रोणि शोथ रोग • स्त्रीरोग वैज्ञानिक अभिघात • यौन प्रहार • योनिक रक्तस्राव • नर्स की भूमिका
यूनिट III	40	❑ बालरोग आपातिक स्थितियां • चिकित्सीय तथा शल्यक्रियात्मक आपातिक स्थितियां – श्वसन तंत्र – हृदवाहिका तंत्र – तंत्रिका वैज्ञानिक तंत्र – जठर आंत्र तंत्र – जनन मूत्र तंत्र – संक्रामक रोग आपाति स्थिति – त्वचा विक्षतियां तथा बर्न्स – विषाक्तता, आगन्तुक पिंड, डूब जाना – दुर्घटनाएं – आघात • बाल शोषण तथा यौन प्रहार • नर्स की भूमिका
यूनिट IV	15	❑ व्यवहारपरक आपातिक स्थितियां – आत्महत्या – नरहत्या – पदार्थ दुरूपयोग–अल्कोहल, औषधियां – आतंकपूर्ण आक्रमण

		– अत्यधिक विषाद – यौन प्रहार – अभिघातोत्तर दबाव विकृति (पीटीएसडी) – नर्स की भूमिका
यूनिट V	25	❑ विशाल आपदा प्रबंध • परिचय • आपदा की अवधारणाएं और सिद्धांत • आपदा की कोटियां ❑ प्राकृतिक : महामारी, भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात, भू–स्खलन, आग आदि ❑ मानवनिर्मित आपदाएं: आतंकवाद आधारित न्यूक्लीयर, जीववैज्ञानिक और रासायनिक युद्ध ❑ आपदा प्रबंध • अस्पताल पूर्व • अस्पताल • समुदाय • आपदा अभ्यास – तत्परता • आपदा शिक्षा • स्वयं लाभग्राहियों तक पहुंचाई जाने वाली सेवाओं के आयोजन तथा समन्वय में नर्स की भूमिका ❑ नर्स की भूमिका

पर्यवेक्षण तथा प्रबंध, नैदानिक शिक्षण, प्रारंभिक अनुसंधान तथा सांख्यिकी

कुल घंटे: 90

खंड–ए	**पर्यवेक्षण और प्रबंध**	**30 घंटे**
खंड–बी	**नैदानिक शिक्षण**	**30 घंटे**
खंड–सी	**प्रारंभिक अनुसंधान और सांख्यिकी**	**30 घंटे**

विवरण:

यह पाठ्यक्रम पर्यवेक्षण और प्रबंध, नैदानिक शिक्षण तथा अनुसंधान के सिद्धांतों की समझ विकसित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

उद्देश्य:

पाठ्यक्रम के समाप्त होने पर छात्र निम्न बातों में सक्षम होगा:

1. व्यावसायिक अभिवृत्तियों का वर्णन करना।
2. आपातकाल तथा आपदापूर्ण स्थितियों मे परिचर्या कार्मिकों के प्रबंध और पर्यवेक्षण में नर्स की भूमिका का वर्णन करेना।

3. नर्सों तथा संबद्ध कार्मिकों को आपातकाल तथा आपदा परिचर्या में शिक्षण प्रदान करना।
4. अनुसंधान प्रक्रिया का वर्णन करना तथा बुनियादी सांख्यिकी परीक्षण करना।
5. आपातकालीन तथा आपदा परिचर्या में अनुसंधान की योजना बनाना और अनुसंधान करना।

विषय	घंटे	विषय
यूनिट I	20	**पर्यवेक्षण और प्रबंध** ❑ प्रबंध • परिभाषा और सिद्धांत • आपातकालीन यूनिट के प्रबंध के तत्वः योजना बनाना, आयोजित करना, स्टाफ व्यवस्था, रिपोर्ट प्रस्तुत करना, रिकार्डिंग तथा बजट निर्माण • यूनिट प्रबंधः समय, सामग्री और कार्मिक • एक आदर्श यूनिट का खाका और डिजाइन • रोगी वर्गीकरण पर आधारित आयोजना • संस्थानगर आपदा प्रबंध योजना • एम्बुलेंस सेवाएं – एम्बुलेंस सेवा की आयोजना – एम्बुलेंस के लिए व्यक्तियों और सामग्री की आयोजना – एक आदर्श एम्बुलेंस ❑ नैदानिक पर्यवेक्षण • पर्यवेक्षण का परिचय, परिभाषा तथा उद्देश्य • पर्यवेक्षण के सिद्धांत और कार्य • पर्यवेक्षकों के गुण • नैदानिक पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारियां • आपातिक यूनिटों के अभ्यास मानक – नीतियां और कार्यविधियां – स्थायी आदेश तथा प्रोटोकाल स्थापित करना • नई भर्ती वालों के लिए दिशा–अनुकूलन कार्यक्रम ❑ आपातिक यूनिटों में गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम • परिचर्या आडिट ❑ निष्पादन मूल्यांकन • निष्पादन मूल्यांकन के सिद्धांत • निष्पादन मूल्यांकन के साधन – योग्यताक्रम निर्धारण मापक्रम – पड़ताल सूचियां – समकक्षों द्वारा समीक्षाएं – स्व–मूल्यांकन ❑ स्टाफ विकास • परिचय और प्रयोजन • सेवाकालीन शिक्षा • सतत शिक्षा

यूनिट II	5	❑ व्यावसायिक अभिवृत्तियां • परिचय • नीति संहिता, व्यावसायिक आचरण संहिता तथा भारत में परिचर्या के अभ्यास मानक • आपातिक देखभाल में नैतिक मुद्दे • नर्स की बढ़ती हुई भूमिका: विशेषज्ञ नर्स, नर्स व्यावसायिक आदि • व्यावसायिक संगठन
यूनिट III	5	❑ चिकित्सा–विधिक पक्ष • आपातिक देखभाल संबंधी कानून और विनियम • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपीए) • लापरवाही और कदाचार • नर्सों के विधिक दायित्व – अस्पताल में सेवाओं की लापरवाही संबंधी निर्णय के मामला अध्ययन • चिकित्सा विधिक पक्ष • रिकार्ड और रिपोर्टें • विधिक मुद्दों में नर्स की भूमिका
यूनिट IV	30	❑ अध्यापन–अधिगम प्रक्रिया • परिचय और अवधारणाएं • अध्यापन और अधिगम के सिद्धांत • अधिगम लक्ष्यों का सृजन • पाठ योजना • शिक्षण विधियां – लेक्चर – निदर्शन, अनुकरण – चर्चा – नैदानिक शिक्षण विधियां – सूक्ष्म शिक्षण – स्व–अधिगम • मूल्यांकन – आकलन o प्रयोजन o कोटि o उपाय o ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति का आकलन करने के साधन • अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में मीडिया का प्रयोग

यूनिट V	30	❑ अनुसंधान • अनुसंधान और अनुसंधान प्रक्रिया • अनुसंधान की कोटियां • अनुसंधान समस्या/प्रश्न • साहित्य समीक्षा • अनुसंधान दृष्टिकोण और डिजाइन • प्रतिदर्श • डाटा संग्रहः साधन और तकनीक • डाटा का विश्लेषण और व्याख्या • संचार तथा अनुसंधान का उपयोग • आपातकाल तथा आपदा में अनुसंधान प्राथमिकताएं ❑ सांख्यिकी • डाटा के स्रोत और प्रस्तुति – सारणीकरणः आवृत्ति विभाजन, प्रतिशतताएं – ग्राफीय प्रस्तुति • केन्द्रीय अभिवृत्ति के माप–औसत, माध्यिका, पद्धति • विसंगति के माप • सामान्य प्रायिकता और महत्व के परीक्षण • सह–संबंध का गुणांक • सांख्यिकी पैकेज और इसका अनुप्रयोग • एक अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करना ❑ कंप्यूटरों के अनुप्रयोग

अध्यापन अधिगम क्रियाकलाप

(i) **शिक्षण की विधियां**
- लेक्चर
- निदर्शन और चर्चा
- पर्यवेक्षित अभ्यास
- सेमीनार
- भूमिका निर्वाह
- कार्यशाला
- सम्मेलन
- कौशल प्रशिक्षण
- अनुकरण
- क्षेत्रीय दौरे
- अनुसंधान परियोजना

(ii) ए.वी. सहायक सामग्री
- ओवरहैड प्रोजेक्टर
- स्लाइड प्रोजेक्टर
- ब्लैकबोर्ड
- ग्राफिक सहायक सामग्री
- कार्यक्रमित–वीडियो कार्यक्रम
- माडल तथा नमूना
- एलसीडी प्रोजेक्टर
- कंप्यूटर

(iii) **मूल्यांकन की विधियां**
- लिखित परीक्षा
- वस्तुनिष्ठ प्रकृति
- संक्षिप्त टिप्पणियां
- ऐसाइनमेंट
- नामला अध्ययन/देखभाल टिप्पणियां
- नैदानिक प्रस्तुति
- सेमीनार
- परियोजना

अनिवार्य नैदानिक / व्यावहारिक क्रियाकलाप

1. रोगी देखभाल ऐसाइनमेंट्स
2. आबंटित रोगी के लिए परिचर्या देखभाल योजना लिखना
3. एक ट्रायेज नर्स के रूप में काम करना
4. मामला अध्ययन लिखना — 5
5. मामला प्रस्तुतियां — 5
6. प्रेक्षण रिपोर्ट लिखना
7. नियोजित स्वास्थ्य शिक्षण — 5
8. समूह परियोजना — 1
9. नैदानिक शिक्षण — 3
10. शय्यागत परिचर्या करना
11. नैदानिक आवर्तन योजना बनाना
12. छात्रों के लिए नैदानिक शिक्षण योजना तैयार करना
13. छात्रों / स्टाफ का नैदानिक मूल्यांकन
14. यूनिट प्रबंध योजना–डिजाइन बनाना
15. पर्यवेक्षण तकनीक–यूनिट रिपोर्ट लिखना, निष्पादन मूल्यांकन, मार्गदर्शन, स्टाफ आबंटन, सामग्री प्रबंध
16. रिकार्डों और रिपोर्टों का रखरखाव

I. **अनिवार्य आपातिक परिचर्या कौशल**
   - (i) सीटी स्कैन
   - (ii) एमआरआई
   - (iii) ट्रौमा एक्स–रे
   - (iv) कोई अन्य

II. **सहायित क्रियाविधियां**
   - (i) उन्नत हृदजीवन सहायता
   - (ii) वक्षवेधन
   - (iii) पारवेधन
   - (iv) कटिवेधन
   - (v) धमनीय रक्त गैस
   - (vi) ईसीजी रिकार्डिंग
   - (vii) निर्मोक अनुप्रयोग
   - (viii) रक्त आधान

(ix) IV कैन्यूलेशन–मुक्त विधि
(x) वक्ष नलिका प्रवेशन
(xi) अंतःश्वासनली नलिका प्रवेशन
(xii) डीफाइब्रिलेशन
(xiii) वेंटीलेशन
(xiv) श्वासप्रणाल छिद्रीकरण
(xv) सीवीपी मानीटरन

III. निष्पादित क्रियाविधियां

(i) वायुमार्ग प्रबंध
(क) ओरो ग्रसनी वायुमार्ग का प्रयोग
(ख) श्वासप्रणाली छिद्रीकरण की देखभाल
(ग) अंतःश्वासनली नलिका प्रवेशन करना
(ii) हृद–मानीटरन
(iii) हृद–फुप्फुस पुनरुज्जीवन
(iv) जठर धावन
(v) वेंटीलेटर स्थापित करना
(vi) IV कैन्यूलेशन
(vii) ईसीजी
(viii) आपातिक IV औषधियां देना
(ix) स्प्लिंटों का प्रयोग
(x) ट्रैक्शन की देखभाल
(xi) रक्त प्रशासन

IV. अन्य क्रियाविधियां

टी. दिलीप कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/102/2007-असा.]

INDIAN NURSING COUNCIL

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2007

F. No. 11-1/2007-INC.—In exercise of the powers conferred by Section 16 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (48 of 1947), the Indian Nursing Council hereby makes the following Regulations namely :—

(i) **Short Title and Commencement.**—These Regulations may be called the "Post Basic Diploma in Emergency and Disaster Nursing–2005".

(ii) These regulations will become effective from the session 2007-08.

GUIDELINES FOR STARTING THE DIPLOMA IN EMERGENCY AND DISASTER NURSING

THE PROGRAMME MAY BE OFFERED AT

(A) The Government (State/Centre/Autonomous) nursing teaching institution offering diploma or degree programmes in nursing having parent/affiliated Government Hospital facilities for "Emergency and Disaster Nursing" experience.

Or

(B) Other non-government nursing teaching institution offering diploma or degree programmes in nursing having parent Hospital facilities for "Emergency and Disaster Nursing" experience.

Or

(C) The Hospital, which has a specific Emergency Services for Trauma and Non Trauma cases

RECOGNITION PROCEDURE

1. Any institution which wishes to start post basic diploma in emergency and disaster nursing should obtain the No Objection/ Essentiality certificate from the State Government. The institutions which are already recognized by INC for offering diploma/degree programmes in nursing are exempted for obtaining the No Objection/ Essentiality certificate.
2. The Indian Nursing Council on receipt of the proposal from the Institution to start pursing program (School College), will undertake. the inspection to assess suitability with regard to physical infrastructure, clinical facility and teaching faculty in order to give permission to start the programme.
3. After the receipt of the permission to start the nursing programme from Indian Nursing Council, the institution shall obtain the approval from the State Nursing Council and Examination Board/ University.
4. Institution will admit the students only after taking approval of State Nursing Council and Examination Board/University.
5. The Indian Nursing Council will conduct inspection for two consecutive years for continuation of the permission to conduct the programme.

STAFFING

1. Full time teaching faculty in the ratio of 1:5

   Minimum number of teaching faculty should be 2 (two)

   Qualification : 1. M.Sc. Nursing with Medical –Surgical Specialty

   2. Post basic diploma in Emergency and Disaster Nursing

   Experience : Minimum 3 years

2. Guest faculty–Multi-disciplinary in related specialities

BUDGET

There should be budgetary provision for staff salary, honorarium for part time teachers, clerical assistance, library and contingency expenditure for the programme in the overall budget of the institution.

PHYSICAL FACILITIES

1. *Class room* –1
2. *Nursing Laboratory* –1